

:: श्री ::

2

:: न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल मध्य- प्रदेश ग्वालियर ::

R-2649-PBR/12

कार्यालय कलेक्टर धार
शाखा.....R.M.....

- 4 JUN 2012

अधीक्षक कलेक्टर

११- कन्हैयालाल पिता शिवनारायण जाति कुमावत
आयु १२५ वर्ष, धन्दाकृषि, निवासी ग्रामभानगढ़,
तहसील सरदारपुर, जिला धार १ मध्य- प्रदेश १

:--निगरानीकर्ता

बनाम्

११- सुहागीबाई पिता जगन्नाथ पति राधेश्याम,
आयु १३५ वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
भानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार १ म. प्र. १

१२- शिवनारायण पिता जगन्नाथ आयु १६० वर्ष,
जाति कुमावत, व्यवसायकृषि, निवासी ग्राम
भानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार १ म. प्र. १

:----निक्षेपिण

कलेक्टर कार्यालय
धार में आज दिनांक
24-7-12 को स्टार
केस पर प्रस्तुत।
Jamy
24-7-12

//: निगरानी धारा १५० भू. राजस्व संहिता के अन्तर्गत ://

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यन्त विनम्रता पूर्वक अर्ज है, कि निगरानीकर्ता के विरुद्ध असत्य आरोप लगाकर असत्य प्रार्थना-पत्र व कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर के समक्ष सुहागी बाई की तरफ से प्रस्तुत हुई है, जिस संबंध में उसे याने सुहागीबाई को जो प्रायवेत पक्ष है, विधी अनुसार जो कुछ भी तहसील न्यायालयसे अथवा राजस्व निरीक्षक या पटवारीमोजा नेम्ननाम के संबंध में रद्दोबदल किया है तो उसके संबंध में धारा १५४ भू. राजस्वसंहिता के अन्तर्गत विरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना थी, ऐसा न कर सीधे अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में रिट की कार्यवाही प्रस्तुत की जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/2010-11 रिट पर दर्ज हुई और उसमें बिना सुनवाई का अवसर दिये इन सब आपत्तियों पर विचार किये बगैर धारा १५१ : 1, 3, के अन्तर्गत


निरन्तर---थर

30/7/12

And...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2649-पीबीआर/12 [~~उन्हेंयालाल सुहानीवाड आदि~~] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-2015	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। उन्होंने आवेदकपक्ष के द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण आवेदकपक्ष के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>